फोनः 0291 -5153702
0291 -5153704

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, करवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)
Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांकः- रा.आ.वि./एके/एफ-2/(BOM)/(01)/V/06-07/ 12579-12597 दिनाँकः 29-3-23

1. प्रो. (वैद्य) प्रदीप कुमार प्रजापति, अध्यक्ष एवं कुलपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. महेश दीक्षित, अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय एवं प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
3. प्रो. मोहम्मद शोएब आजमी, अधिष्ठाता, यूनानी संकाय एवं प्राचार्य, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, गुर्जर मोहल्ला, खो- नागोरियान, जगतपुरा रोड़, जयपुर
4. प्रो. पंकज शर्मा, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं निदेशक, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
5. प्रो. एकलव्य बोहरा, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
6. डॉ. विमल कुमार कावत, सदस्य, 327/7, उदय मार्ग, तिलक नगर, जयपुर
7. शासन सचिव, आयुष विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
8. श्री दिनेश कुमार बारहठ, कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर (प्रतिनिधि, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर)
9. डॉ. आनन्द शर्मा, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर
10. प्रो. संजीव शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
11. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, रचना शारीर विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
12. डॉ. अशोक शर्मा, 58-बजाज नगर एनकलेव, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर-302015
13. डॉ. विश्वावसु गौड, 80, सेनापति हाऊस के पीछे, प्रेम नगर, झोटवाड़ा, जयपुर-302012
14. डॉ. ऋतुराज शर्मा, प्राचार्य, शेखावटी आयुर्वेद महाविद्यालय, पिलानी
15. डॉ. राकेश कुमार शर्मा, एसो.प्रोफेसर, रचना शारीर विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
16. डॉ. मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, बी-ब्लॉक, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
17. डॉ. राजकुमार शर्मा, एम.एल.ए., नवलगढ़
18. श्री दीपचन्द खेरिया, एम.एल.ए., अलवर
19. कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

विषय :- डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की प्रबन्ध बोर्ड का 27वां उपवेशन दिनाँक 09.03.2023 के कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की प्रबन्ध बोर्ड का **27**वां उपवेशन, जो दिनाँक **09** मार्च **2023** को दोपहर **3.00** बजे विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर में व्यक्तिशः आयोजित किया गया, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार कार्यवाही विवरण आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नः कार्यवाही विवरण पृष्ठ संख्या 02 से 08 तक।

भवदीय

कुलसचिव

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रबन्ध बोर्ड का 27वां उपवेशन

09 मार्च 2023

कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कड़वड़, जोधपुर

फोनः 0291 -2795302
0291 -2795304

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)
Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांकः- रा.आ.वि./एके/एफ-2/(BOM)/(01)/V/06-07/ दिनाँकः

कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध बोर्ड का **26**वां उपवेशन, जो दिनाँक **09** मार्च **2023** को दोपहर **3.00** बजे विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. प्रो. (वैद्य) प्रदीप कुमार प्रजापति, अध्यक्ष एवं कुलपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. महेश दीक्षित, अधिष्ठाता, आयुर्वेद संकाय एवं प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
3. प्रो. मोहम्मद शोएब आजमी, अधिष्ठाता, यूनानी संकाय एवं प्राचार्य, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, गुर्जर मोहल्ला, खो- नागोरियान, जगतपुरा रोड़, जयपुर
4. प्रो. पंकज शर्मा, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं निदेशक, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
5. प्रो. एकलव्य बोहरा, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
6. श्री दिनेश कुमार बारहठ, कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर (प्रतिनिधि, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर)
7. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, रचना शारीर विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
8. डॉ. विश्वावसु गौड, 80, सेनापति हाऊस के पीछे, प्रेम नगर, झोटवाड़ा, जयपुर-302012
9. डॉ. राकेश कुमार शर्मा, एसो.प्रोफेसर, रचना शारीर विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
10. कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नही हो सके :-

1. डॉ. राजकुमार शर्मा, एम.एल.ए., नवलगढ़
2. श्री दीपचन्द खेरिया, एम.एल.ए., अलवर
3. शासन सचिव महोदया, आयुष विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4. डॉ. विमल कुमार कावत, सदस्य, 327/7, उदय मार्ग, तिलक नगर, जयपुर
5. डॉ. आनन्द शर्मा, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर
6. प्रो. संजीव शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
7. डॉ. अशोक शर्मा, 58-बजाज नगर एनकलेव, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर-302015
8. डॉ. मनोज नेसरी, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, बी-ब्लॉक, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
9. डॉ. ऋतुराज शर्मा, प्राचार्य, शेखावटी आयुर्वेद महाविद्यालय, पिलानी

सर्वप्रथम प्रबन्ध बोर्ड के दिनाँक **09** मार्च **2023** को आयोजित **27**वां उपवेशन में उपस्थित सदस्य महानुभावों का माननीय कुलपति महोदय एवं कुलसचिव द्वारा स्वागतोपरान्त एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई :-

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
1.	प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनाँक **08.02.2022** व **17.05.2022** के कार्यवाही विवरण एवं अनुपालना का अनुमोदन।	दिनांक 17.05.2022 का कार्यवाही विवरण सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा दिनांक 08.02.2022 के एजेण्डा संख्या 5. विश्वविद्यालय के संघटक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, जोधपुर/केकड़ी,अजमेर तथा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नैचुरोपैथी एण्ड योगिक साईन्स, जोधपुर में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रवेश हेतु बी.ए.एम.एस. एवं बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित 90,000/- शुल्क लेने का निर्णय लिया गया था। परन्तु बी.एन.वाई.एस. में अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश की स्थिति न्यूनता को मद्येनजर रखते हुये समिति द्वारा उक्त संबंध में पुनः विचार विमर्श कर पूर्व में निर्धारित शुल्क प्रतिवर्ष 90,000/- रूपये के स्थान पर 50 प्रतिशत करने अर्थात् 45,000/- रूपये प्रतिवर्ष करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। साथ ही सत्र 2021-22 में प्रवेशित छात्रों को अग्रिम सत्रों की शुल्क 45,000/- रूपये ही प्रतिवर्ष लिये जाने के निर्णय लिया गया। वर्तमान में बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस. का शुल्क प्रतिवर्ष 90000/- है। यदि राज्य सरकार के स्तर पर उक्त संकाय के छात्रों को दिया जाने वाला इन्टर्नशिप भत्ता राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है तो इनका निर्धारित शुल्क का 50% प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही विश्वविद्यालय का संघटक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बी.एससी.(आयर्वेद) नर्सिंग,

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
		जोधपुर में बी.एससी.(आयर्वेद) नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनता को देखते हुये बी.एससी. की पूर्व में निर्धारित शुल्क प्रतिवर्ष 50,000/- रूपये के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा अन्य राजकीय बी.एससी. (आयुर्वेद) नर्सिंग महाविद्यालयों के अनुरूप 36,000/- रूपये प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 08.02.2022 के शेष एजेण्डों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2.	विद्या परिषद् के उपवेशन दिनांक **23.01.2023** के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	**ऐजेण्डा संख्या- 5** प्रो.(डॉ.अंकेश सिंह, पूर्व अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संकाय के पत्र दिनांक 11.05.2022 पर समिति ने दिनांक 23.01.2023 को आयोजित विद्या परिषद् उपवेशन में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के प्रस्तावित सेवानियम में बी.एन. वाई.एस. पाठ्यक्रम संचालन करने के लिये आवश्यक शैक्षणिक संकाय की योग्यता को बी.एन. वाई.एस. ही रखे जाने/स्नात्तकोत्तर को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। **इस पर समिति ने पुनः विचार विमर्श कर वर्तमान में एकीकृत महाविद्यालयों में अध्यापन की स्थिति को देखते हुये उक्त पाठ्यक्रम को संचालन/अध्यापन करने हेतु शैक्षणिक योग्यता बी.एन.वाई.एस./बी. ए.एम.एस./ स्नात्तकोत्तर रखे जाने का निर्णय लिया गया , परन्तु बी.एन.वाई.एस/ स्नात्तकोत्तर को प्राथमिकता देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।**

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
		<u>**ऐजण्डा संख्या 18 (4)**</u> परीक्षा आवेदन के क्रम चार गुणा शुल्क के साथ आवेदन करने की तिथि 5 दिन पूर्व निर्धारित किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। **साथ ही इसी क्रम में समिति ने पुनः विचार कर यह निर्णय लिया गया कि किसी भी संकाय में किसी भी कक्षा में यदि छात्र/छात्रा से दो प्रयास तक निर्धारित परीक्षा शुल्क तथा तीसरे एवं चौथे प्रयास तक 1½ गुणा शुल्क एवं 05 प्रयास से 2½ गुणा परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा का सर्वसम्मति निर्णय लिया गया।** समिति द्वारा इसके अतिरिक्त/शेष दिनांक 23.01.2023 में आयोजित विद्या परिषद् उपवेशन एजेण्डों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
3.	डॉ.एस.आर.राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के नवीन सेवानियम **2022** में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक संशोधन के अनुमोदन पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया साथ ही संशोधत सेवानियम राज्य सरकार को भेजने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।
4.	विश्वविद्यालय अधिनियम, **2002** की धारा-**20-1-घ** के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की वित्त एवं लेखा समिति में प्रबन्ध बोर्ड से तीन वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिए एक सदस्य के मनोनयन पर विचार।	माननीय प्रबन्ध बोर्ड सदस्य **डॉ. विश्वावसु गौड़** का मनोनयन सर्वसम्मति से किया गया।
5.	सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा पर पुर्ननियुक्ति एवं संविदा सेवा अवधि में अभिवृद्धि आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6.	वित्त एवं लेखा समिति की प्रस्तावित बैठक दिनांक **03.03.2023** के कार्यवाही विवरण पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
7.	राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद्, जयपुर से बी. एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) महाविद्यालयों की मान्यता (**Recognition**) प्राप्त करने एवं अन्य के सम्बन्ध में दिनांक **14.02.2023** को आयोजित उपवेशन के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
8.	नकल सम्बन्धित (**Unfairmeans Case**) प्रकरणों में कमेटी द्वारा लिए गये निर्णय के अनुमोदन पर विचार-विमर्श।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
9.	यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, केकड़ी, अजमेर में विद्या संबल योजना के अन्तर्गत कार्यरत सभी शैक्षणिक कर्मचारियों के स्थाई पदस्थापन किये जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श।	प्रबन्ध बोर्ड सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श कर यूनिविर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, केकड़ी अजमेर एवं जोधपुर मे कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों को नवीन स्थायी भर्ती प्रक्रिया में नियमानुसार लाभ दिये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
10. अनुपूरक एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।		
1.	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक खण्ड एवं आयुर्वेद महाविद्यालय के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों हेतु कनिष्ठ विधि अधिकारी का पद एवं लिपिक वर्ग के नवीन पदों के सृजन के सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत।	उक्त संबंध में निर्देशानुसार गठित समति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर माननीय सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श कर मंत्रालयिक संवर्ग के कैडर स्ट्रेंथ प्रतिशत अनुसार पदों का वर्गीकरण कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
2.	डॉ.अभिषेक दाधीच, अध्यक्ष पीजी एसोसिएशन के पत्रांकः 002 दिनांक 09.03.2023 के तहत पीजी अध्येताओं को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त 10 मेडिकल अवकाश प्रदान करने के संबंध में विचार-विमर्श	प्रबन्ध बोर्ड सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श कर पीजी. अध्येताओं को 12 आकस्मिक एवं 10 मेडिकल अवकाश दिये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

क्र.सं.	चर्चा बिन्दु विवरण	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय
3.	डॉ.राकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एवं सदस्य, प्रबन्ध मण्डल, डॉ.एस.आर.राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत पत्र के तहत विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित विभिन्न संस्थाओं के प्रभारी पद के प्रभारी पद गरिमामय नामकरण के संबंध में विचार-विमर्श	प्रबन्ध बोर्ड सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श कर निम्नलिखित संस्थाओं के प्रभारी के स्थान पर निम्नलिखित विभागों के पदनाम निदेशक करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया :- केन्द्रीय पुस्तकालय - निदेशक रसायनशाला- निदेशक मानव संसाधन विकास केन्द्र- निदेशक
4.	5 वर्ष से अधिक शिक्षण अनुभव रखने वाला पी. एचडी. धारक शिक्षक को पी.एचडी. परीक्षा हेतु परीक्षक नियुक्त करने संबंध में विचार विमर्श	प्रबन्ध बोर्ड सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई भी शिक्षक पी.एचडी. धारक है तथा असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर कार्यरत है जिसे 05 वर्ष से अधिक का शिक्षण अनुभव है उसे पी.एचडी. परीक्षा हेतु परीक्षक नियुक्त किया जा सकता है।
5.	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कार्यरत अशैक्षणिक कर्मचारियों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक एवं जमादार के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.03.2023 के कार्यवाही विवरण क्रमांकः 11746 दिनांक 09.03.2023 पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन।	प्रबन्ध बोर्ड सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

उक्त कार्यवाही विवरण प्रबन्ध बोर्ड के समस्त माननीय सदस्यों एवं अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया। (पृष्ठ संख्या 02 से 08 तक)।

सदस्य सचिव